म.प्र शासन सामाजिक न्याय विभाग

विवेकानंद समूह बीमा योजना

सुरक्षा की छॉव

सामाजिक न्याय विभाग

मध्य प्रदेश शासन

सुरक्षा की छॉव

किसी भी प्रदेश के विकास का एक पैमाना, वहॉ रहने वाले आम व्यक्तियो को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा है। मध्यप्रदेश शासन ने यहॉ रहने वाले सामान्य विपत्र लोगो को सुरक्षा देने के इरादे से (विवेकानंद समूह बीमा योजना 2006) शुरू करने का फैसला किया है। प्रदेश की आबादी 603.48 लाख है,जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वालो के सर्वेक्षण के हिसाब से करीब 46.05 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे शहरी और ग्रामीण इलाको में रहते है। ये वे परिवार है जो प्राकृतिक आपदा और दुर्घटनाओ में सबसे ज्यादा दिक्कते झेलते है। इन परिवारो को आर्थिक सुरक्षा का कवच देने के इरादे से, विवेकानंद समूह बीमा योजना शुरू की जा रही है।

विवेकानंद समूह बीमा योजना

1. यह योजना 18 से 65 बर्ष आयु समूह के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोगो को सुरक्षा देगी।
2. योजना प्रदेश के सभी 48 जिलो के समस्त शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में लागू रहेगी।
3. बीमा कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले कवरेज (क्षतिपूर्ति):–

1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर	रू. 50,000
2. पूर्ण अशक्तता होने पर	रू. 50,000
3.दुर्घटना में दोनो ऑख दो अंग या एक ऑख व एक अंग की क्षति होने पर	रू. 50,000
4. एक ऑख या एक अंग की क्षति होने पर	रू. 25,000

4. प्रभावित व्यक्ति को दुर्धटना स्वरूप होने वाले किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में इलाज कराने पर चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर बीमा कम्पनी द्वारा देय राशि — रू. 1,000

संभावित लक्ष्य समूह/पात्रता

1. प्रदेश के सभी 48 जिलो के लिये यह योजना लागू होगी। लगभग 46.05 लाख परिवार बीमित होंगे। 46.05 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो के 18 से 65 वर्ष आयु समूह के (प्रति परिवार 4 सदस्य के मान से) लगभग 1.85 से 2.00 करोड व्यक्ति लाभ उठा सकेंगे।
2. ग्रामीण एंव नगरीय निकायो में संधारित एंव प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो की सूची मान्य होगी। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो के व्यक्तियो का आधार ग्रामीण एंव नगरीय निकायो में संधारित एंव प्रमाणित सर्वेक्षण सूची होगी। अलग–अलग व्यक्तियो के लिए कोई रिकार्ड नही रखा जायेगा। परिवार के 18 से 65 बर्ष आयु समूह के व्यक्तियो को प्राकृतिक आपदा एंव दुर्घटना से सुरक्षा उपलब्ध होगी।

3. संबंधित व्यक्ति को बीमा संरक्षण 24 घंटे वर्षभर उपलब्ध रहेगा। योजना की अवधि बीमा कम्पनी से अनुबंध के अनुरूप रहेगी।

दावे के लिये आवश्यक कागजात

1. दावा आवेदन पत्र पूर्णतः भरा हो।
2. एफ.आई.आर. की प्रति।
3. मृत्यु प्रमाण पत्र/सिविल सर्जन/चिकित्सक द्वारा प्रदाय निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
4. पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
5. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो में होने के संबंध में एंव आयु के संबंध में कलेक्टर/नोडल अधिकारी द्वारा प्रदाय प्रमाण पत्र।
6. सर्पदंश के प्रकरणो में अपवाद स्वरूप पोस्टमार्टम/स्थल निरीक्षण रिपोर्ट भी मान्य की जावेगी। अन्य विशिष्ट/असाधारण प्रकरणो में नोडल अधिकारी की अनुशंसा पर पंचनामा/स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को मान्य किया जावेगा।
7. अन्य विशिष्ठ/असाधारण प्रकरणो में बीमा कम्पनी द्वारा दावे का भुगतान के लिए चाही अन्य जानकारी।

दावा निपटाने की समय–सीमा

1. जिले में बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को समस्त पूर्तियो के साथ दावा आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजो के साथ नोडल अधिकारी को प्रकरण प्रेषित किये जायेंगे। जिले के बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को प्रकरण प्राप्त होने एंव पंजीबद्व होने की तिथि से 15 कार्य दिवस की समय सीमा में पीडित परिवार को दावा राशि का भुगतान न करना होगा। उक्त अवधि में कम्पनी द्वारा हितग्राही को राशि का भुगतान न करने पर दावा राशि की 10 प्रतिशत राशि वार्षिक ब्याज दर से संबंधित परिवार को देय होगी।

प्रीमियम

1. प्रीमियम का भुगतान राज्य शासन द्वारा बीमा कम्पनी को किया जायेगा।

नोडल एजेन्सी

1. ग्रामीण क्षेत्र के प्रकरणो के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत।
2. नगरीय निकायो के प्रकरणो के लिए शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी। वह जिले जिनमें शहरी विकास अभिकरण कार्यरत नही है उन जिलो में जिला मुख्यालय की नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी।

दावा कार्यप्रणाली

1. प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना से पीडित परिवार के सदस्य के हितग्राही द्वारा दवा फार्म के साथ सभी दस्तावेज लगाकर नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। नोडल अधिकारी दावा फार्म प्राप्त होने पर इसका पंजीयन करेंगे एंव आवश्यक परीक्षण के उपरान्त जिले में बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को प्रेषित करेंगे। बीमा कम्पनी तदुपरान्त 15 कार्य दिवस में पीडित परिवार को दावा राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगी।

बीमा अवधि

1. बीमा अवधि 28 जनवरी 2006 मध्य रात्रि से 27 जनवरी 2007 मध्य रात्रि तक रहेगी। बीमित अवधि के दौरान हुई दुर्घटना/प्राकृतिक आपदा का दावा बीमा अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी 90 दिवस तक किये जाने पर बीमा कम्पनी द्वारा हितग्राही को भुगतान करना होगा।

दावे का भुगतान समय–सीमा में न होने पर संपर्क करे

आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल एन्श्योरंस कम्पनी लिमिटेड,
दूसरी मंजिल प्लाट न. 11, अलंकार पैलेस, कामरर्शियल कॉम्प्लेक्स,
जोन–II एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र.